कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक–शिविरा–माध्य / आदर्श विद्यालय / विविध / वो–2 / 2018–19 / 204 दिनांक 30/07/19

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक शिक्षा,
समस्त जिले।

विषयः– राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नामित पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों (पीईईओ) में संशोधन के संबंध में।
प्रसंगः– शासन उप सचिव, प्रा.शि.विभाग, जयपुर के पत्रांक–प.15(1)प्राशि / 2017 पार्ट 1 जयपुर, दिनांक 09.07.2019 के क्रम में।

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंगान्तर्गत यह देखने में आया है कि जिला मुख्यालय एवं ब्लॉक कार्यालयों से राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नामित पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों (पीईईओ) में संशोधन के एक–दो प्रस्ताव निरन्तर इस कार्यालय को प्रेषित किए जा रहे है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने जिले में क्रमोन्नति अथवा अन्य कारण से नामित पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ) के संशोधन संबंधी समस्त प्रस्तावों को समेकित करते हुए निम्नांकित प्रारूप में तैयार कर इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।

क्र. सं.	जिला	पंचायत समिति / ब्लॉक	वर्तमान में नामित पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO)	वर्तमान में नामित पीईईओ विद्यालय की ग्राम पंचायत	संशोधित नामित पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO)	संशोधित नामित पीईईओ विद्यालय की ग्राम पंचायत	संशोधन का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8

नोटः– प्रत्येक ग्राम पंचायत में उच्चतम स्तर के विद्यालय (माध्यमिक / उच्च माध्यमिक) के संस्था प्रधान को पीईईओ नामित किए जाने हेतु संशोधित प्रस्ताव भिजवायें।

साथ ही यदि आपके जिले की किसी ग्राम पंचायत को नगर पालिका के रूप में घोषित किया जा चुका है तो संबंधित पीईईओ को निरस्त करने के प्रस्ताव निम्नांकित प्रारूप में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

क्र. सं.	जिला	पंचायत समिति / ब्लॉक	ग्राम पंचायत	वर्तमान में नामित पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO)	निरस्त किए जाने वाले पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO)	निरस्त करने का कारण
1	2	3	4	5	6	7

उपर्युक्त वर्णित सूचनाऐं निर्धारित प्रपत्रों में तैयार कर इस कार्यालय की ई–मेल आई. डी.– **rajadarshschool2017@gmail. com** पर दिनांक 08.08.2019 तक सॉफ्ट कॉपी (एम.एस. एक्सेल) एवं हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी (पीडीएफ) में अनिवार्यतः भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

इसके उपरांत यदि आपके जिले की किसी ग्राम पंचायत में उच्चतम स्तर विद्यालय के संस्था प्रधान के स्थान पर निम्न स्तर विद्यालय का संस्था प्रधान पीईईओ के रूप में कार्यरत रहता

है/पीईईओ निरस्त का कोई प्रस्ताव शेष रहता है, तो उसका समस्त उत्तरदायित्व आप स्वयं का होगा एवं आपके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जावेगी।

इस कार्य को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकता से सम्पादित कर इस कार्यालय को सूचित करें।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक,
मा.शिक्षा, राज.,बीकानेर

क्रमांक–शिविरा–माध्य/आदर्श विद्यालय/विविध/वो–2/2018–19/204 दिनांक 30/07/19

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् सह विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन उपसचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग,राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान एवं अति.आयुक्त, रास्कूलशि... जयपुर।
5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
6. प्रभारी, आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय प्रकोष्ठ, जयपुर।
7. समस्त संयुक्त निदेशक, (स्कूल शिक्षा)।
8. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शि... अभियान।
9. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बी.आर.सी.एफ., समग्र शिक्षा अभियान।
10. सिस्टम ऐनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलो... बाबत।
11. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
12. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी
(आदर्श विद्यालय प्रकोष्ठ)
मा.शि.,राज.,बीकानेर

शिक्षा विभाग समाचार
राजस्थान